Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July-December 2023 4(2), 3675–3679

ABROGATION OF ARTICLE 370 AND ARTICLE 35A OF THE INDIAN CONSTITUTION: AN ANALYTICAL STUDY

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए का निरस्तीकरण: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Sweety [1], Pradeep Kumar

[1] Research Scholar, Department of Political Science, Maharishi Dayanand University, Rohtak, Haryana, India
[2] Assistant Professor, Department of Political Science, Maharishi Dayanand University, Rohtak, Haryana, India

ABSTRACT

English: The Indian Constitution is one of the best constitutions made by any nation. It is a mixture of various constitutions. The Indian Constitution makers have acted very judiciously while drafting the Constitution keeping in mind the diversity of the Indian subcontinent. Each state of the Indian Union has its own uniqueness and diversity. Jammu and Kashmir on the northern end of India is famous for its diversity. Jammu and Kashmir is the only state that has entered the Indian Union through certain conditions based on the immediate circumstances. The basis of which was made Article 370 of the Indian Constitution. Articles 370 and 35A are two main provisions of the Indian Constitution which provided some special provisions to the state of Jammu and Kashmir. Article 370 was a temporary provision and Article 35A was implemented only by Presidential order through an incomplete process of constitutional amendment. Under the process of integration of Indian states, the states of Jammu and Kashmir were given the right to make their own constitution and a separate flag. While Article 35A provided some privileges to the local residents of the state. This temporary provision was repealed by the Government of India on August 2019.

This research paper aims to do an analytical study of Article 370 and 35A of the Indian Constitution and study the validity of the process of repeal as well as focus on the process that these provisions were repealed from the legal perspective in historical events as well as the process due to which these provisions were repealed and also present the study of the constitutionality of repeal and the effects that follow.

Hindi: भारतीय संविधान किसी भी राष्ट्र द्वारा निर्मित कुशल (श्रेष्ठ) संविधानों में से एक है। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय उपमहाद्वीप की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान का मसौदा तैयार करते समय अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से कार्य किया है। भारतीय संघ का प्रत्येक राज्य अपनी अद्वितीयता और विविधता लिए हुए है। भारत के उत्तरी छोर पर जम्मू-कश्मीर अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू-कश्मीर एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने भारतीय संघ में प्रवेश तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर कुछ शर्तों के माध्यम से हुआ है। जिसका आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को बनाया गया था। अनुच्छेद 370 और 35ए भारतीय संविधान के दो मुख्य प्रावधान हे जो जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ विशेष प्रावधान प्रदान करते थे। अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान तथा अनुच्छेद 35ए संविधान संशोधन की अपूर्ण प्रक्रिया से केवल राष्ट्रपति आदेश से लागू किया गया था। भारतीय राज्यों की एकीकरण की प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर राज्यो को अपना संविधान अलग झण्डा बनाने का अधिकार दिया गया था। जबकि अनुच्छेद 35ए राज्य के स्थानीय निवासियो को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता था। अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा इस अस्थाई प्रावधान को निरस्त कर दिया गया।

इस शोध पत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तथा निरस्त करने की प्रक्रिया वैधता का अध्ययन करना तथा साथ ही इस प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करना कि ऐतिहासिक घटनाक्रमों में इन प्रावधानों के कानूनी परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ वह प्रक्रिया जिसके कारण इन प्रावधानों को निरस्त किया गया और साथ ही निरस्तीकरण की संवैधानिकता का अध्ययन तथा इसके बाद होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करना है।

DOI
10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.4055

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2023 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

Keywords: Constitution of India, Article 370, 35A, Jammu and Kashmir, Repeal of Temporary Provisions, Indian Federalism, भारत का संविधान, अनुच्छेद 370, 35ए, जम्मू और कश्मीर, अस्थायी प्रावधान निरस्तीकरण, भारतीय संघवाद

1. प्रस्तावना

संविधान देश की शासन व्यवस्था, नागरिको के अधिकार तथा सामाजिक स्थिरता तथा मानवता की रक्षा करने के लिए सभी विशेषताओं को शामिल करता है। भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ तथा 24 भाग को शामिल किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 और 35ए जो कि भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित है। भारतीय संघीय ढांचे के भीतर एक अस्थाई प्रावधान थे जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष प्रावधान प्रदान करते थे। इन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की तात्कालिक परिस्थितियों में सामंजस्यस स्थापित करते हुए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक महत्व को सरंक्षित करना था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। 1947 में विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय 'इंस्ट्रूमेंट आॅफ एक्सेशन' के माध्यम से हुआ था। जिसमें कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ के साथ जुड़नले का निर्णय लिया। इस समझौते के तहत केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार से संबंधित विषय भारत सरकार के अधीन थे। जबकि अन्य सभी विषयों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था।1 यह प्रक्रिया शेष राज्यों की विलय प्रक्रिया के समान थी।

5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने राष्ट्रपति आदेश से अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके तहत जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर दिया गया तथा भारत सरकार ने दूसरे बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर को (विधानसभा सहित) और लद्दाख (बिना विधानसभा के) में विभाजित कर दिया और संसदीय प्रक्रिया से पूर्ण किया। हालांकि भारत सरकार के निर्णय को विपक्षी दलों, कश्मीरी नेताओं द्वारा विरोध हुआ। आलोचकों का तर्क था कि इस कदम से कश्मीरी जनता की पहचान और अधिकारों को नुकसान पहुंचा है, कश्मीर के लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया । इस निर्णय के बाद जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए, इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा और नेताओं को नजरबंद किया गया सुरक्षा बलो की तैनाती बढ़ा दी गई। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि यह कदम कश्मीर के समग्र विकास और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक था।

इस शोध पत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए के ऐतिहासिक महत्व के निरीक्षण के साथ निरस्तीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कश्मीर रियासत (जम्मू कश्मीर और लद्दाख) 1947 से पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। इस समय कश्मीर रियासत का शासन महाराजा हरि सिंह जो कि एक हिन्दु राजा था द्वारा शासित किया जा रहा था इसके विपरीत कश्मीर रियासत की आबादी मुस्लिम बहुल थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारतीय अधिराज्य को दो भागों में विभाजित किया गया अर्थात् भारत अधिराज्य और पाकिस्तान अधिराज्य, इसके अतिरिक्त लगभग 562 रियासतें जो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन थी उन्हें विकल्प दिए गए थे, भारतीय अधिराज्य या पाकिस्तानी अधिराज्य में विलय तथा अलग से स्वतंत्र अस्तित्व। स्वतंत्र अस्तित्व का विकल्प केवल सैद्धांतिक रूप से मौजूद था क्योंकि शायद कोई भी रियासत दो बड़े पड़ोसी देशों के सामने राजनीतिक रूप से अस्तित्व बचाने की स्थिति में नहीं थी। कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने विभाजन के बाद भारत, पाकिस्तान में शामिल होने से इंकार कर दिया और तीसरा विकल्प चुना।2 परन्तु 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली विद्रोहियों के जम्मू-कश्मीर रियासत पर हमला कर दिया। महाराजा हमले का विरोध करने की स्थिति में न होने के कारण भारतीय अधिराज्य में कश्मीर रियासत का सशर्त विलय पर बातचीत की थी। महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर 1947 विलय पत्र (इंस्ट्रूमेंट आॅफ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर होने के पश्चात कश्मीर रियासत का पूर्ण विलय भारतीय संघ में इस प्रकार हुआ, जिस प्रकार दूसरी रियासतों का का विलय भारतीय अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य में हुआ था।3 विलय पत्र एक कानूनी दस्तावेज था जिसका उद्देश्य परिग्रहण के लिए था। अन्य रियासतों की तरह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारतीय अधिराज्य द्वारा कानून बनाने की शक्ति को केवल तीन विषयों (विदेशी मामले, रक्षा तथा संचार) तक सीमित कर दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को अस्थाई प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया था।

3. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का समावेश

17 अक्टूबर 1949 को जब भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने की परियोजना के अंत में, एन. गोपालास्वामी अय्यंगर ने मसौदा समिति को संविधान में अनुच्देद 306ए जोड़ने की सिफारिश की। मसौदा अनुच्देद 306ए (जो बाद में संविधान के अनुच्छेद 370 के रूप में परिवर्तित किया।) के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में कुछ रियायते दी गई। अय्यंगर ने इस संविधान को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह ''कश्मीर की तात्कालिक

विषम परिस्थितियों के कारण था इस समय कश्मीर की परिस्थिति अन्य राज्यों के विपरीत भारतीय गणतंत्र के साथ पूर्ण एकीकरण के लिए परिपक्व नहीं है''4। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है जो राज्यों में एक अतिरिक्त प्रक्रिया के रूप में काम करेगा तथा सामान्य स्थिति होने पर अन्य रियासतो की तरह जम्मू कश्मीर का भी भारतीय संघ में पूरी तरह एकीकरण हो जाएगा, तो यह अतिरिक्त प्रक्रिया अनुपयोगी हो जाएगी।5

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करता है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जो मुख्यतौर पर जम्मू कश्मीर पर केन्द्र के वैधानिक, कार्यकारी तथा न्यायिक शक्तियों को तब तक लागू करते रहने का अधिकार देता था जब तक जम्मू कश्मीर का संविधान निर्माण होकर भारत के मुख्य संविधान में सम्मिलित नहीं कर दिया जाता तथा यह 1957 में जम्मू कश्मीर के संविधान निर्माण के बाद स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए था। यह अनुच्छेद अस्थायी प्रकृति के रूप में भारतीय संविधान में भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों में शामिल किया गया था।

4. अनुच्छेद 370 के प्रावधान

अनुच्छेद 370 में तीन खंड है जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए प्रावधान किए गए थेः-

खंड 1 का उपखंड (क)ः- बताता है कि अनुच्छेद 238 की प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे।

खंड 1 का उपखंड (ख)ः- यह जम्मू-कश्मीर पर संसद की शक्ति जिन विषयों तक सीमित होगी वे निम्नलिखित हैः-

(1) संघ सूची और समवर्ती सूची के वे विषय जिनको राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार से परामर्श करके घोषित कर दे कि वे विषय उस अधिमिलन पत्र में निहित है जिसके आधार पर राज्य का भारत डोमिनियम में विलय हुआ था।

(2) उपरोक्त सूचियों के अन्य ऐसे विषय जो राष्ट्रपति उस राज्य सरकार की सहमति से आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।

खंड 1 का उपखंड (ग)ः- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 ही जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे।

खंड 1 का उपखंड (घ)ः- भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान भी जम्मू कश्मीर राज्य पर ऐसे अपवादों तथा कुछ परिवर्तनों के साथ लागू हांेगे जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।

;पद्ध परन्तु ऐसा कोई उपखंड है जो खंड एक में बताए गए उन विषयों से संबंधित हो जिनका अधिमिलन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हो जो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

;पपद्ध परन्तु यह और पूर्ववर्ती प्रावधान में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित सरकार की सहमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

खंड 2ः- यदि खंड 1 के उपखंड (ख) या उपखंड (घ) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट विषयों की सहमति उस राज्य के लिए संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के समक्ष दी जाए तो उसे ऐसी सभा की समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए रखा जाएगा जैसा कि वह लेना चाहे।

खंड 3ः- यह अनुच्छेद पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी शर्तों से लागू होगा जो वह अधिसूचित कर सकता है वह शर्तें राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।6

अनुच्छेद 35एः- अनुच्छेद 370 भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आदेश के तहत भारतीय संविधान के प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति आदेश की धारा 2(3) और 2(4) ने नागरिकता और मौलिक अधिकारों संबंधित भारत के संविधान के भाग प्प् ओर भाग प्प्प् को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू किया। हालांकि राज्य विधानमण्डल को कश्मीर की स्थाई निवासियों को परिभाषित करने और उनके लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया था।7 इस उद्देश्यों को कानूनी सरंक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की धारा 2(4) (1) ने संविधान में अनुच्छेद 35ए डाला जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। अनुच्छेद 35ए के प्रावधानो का उल्लेख करना आवश्यक है जो निम्नलिखित प्रावधानो को लागू करता हैः-

अनुच्छेद 35ए में स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों के संबंध में कानूनो की व्यावृति की हैः

इस अनुच्छेद में किसी भी बात के होते हुए भी, जम्मू कश्मीर राज्य में कोई विधमान प्रवृत्त कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा इसके पश्चात् अधिनियमित कानून,

(क) उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करना जो जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं या होंगे, याय

(ख) ऐसे स्थायी निवासियों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करना या अन्य व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाना

;पद्ध राज्य सरकार के अधीन रोजगार।

;पपद्ध राज्य में अचल संपति का अधिग्रहण।

;पपपद्ध राज्य में बसना, या

;पअद्ध छात्रवृत्ति और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रकार की सहायता का अधिकार।

इस आधार पर देश का कोई भी कानून शून्य हो जाएगा जो इस भाग के किसी प्रावधान द्वारा देश के अन्य नागरिकों को दिए गए अधिकारों से असंगत है या उनमें से कई को छीनता है या उनमें न्यूनता लाता है।8

यद्यपि अनुच्छेद 35ए हमारे संविधन के भाग प्प्प् का एक अतिरिक्त भाग था जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है, लेकिन मूलतः यह पूर्णतः संविधान से पृथक था।

5. अनुच्छेद 370 और 35ए का निरस्तीकरणः-

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया था, जिसने 1954 के आदेश को निरस्त करते हुए भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया गया। इसके अलावा संसद के दोनों सदनो में प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 अगस्त 2019 को एक ओर आदेश जारी किया गया जिसमें घोषणा की गई थी कि अनुच्छेद 370 के खंड (1) को छोड़कर अनुच्छेद 370 के सभी खंड निष्क्रिय माने जाएंगे। अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के प्रावधानों को अपवादों और संशोधनों के अधीन राज्य में विस्तारित करने की शक्ति प्रदान करता है, जैसा कि आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, अनुच्छेद 370 में संशोधन में एक संशोधन 3 भी शामिल किया जाता है।9

अनुच्छेद 370 वास्तव में एक अस्थायी प्रावधान है जो जम्मू-कश्मीर राज्य को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 35ए राज्य की विधायिका को यह निर्धारित करने और परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है कि स्थायी निवासी कौन है, ये स्थायी निवासी संपति के अधिकार, राज्य द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक लाभों के प्रकार रखने में सक्षम है, वे रोजगार और छात्रवृत्ति के लिए पात्र है इत्यादि कुछ विशेषाधिकार देता है। लेकिन इस प्रभाव को कम करने के लिए 5 अगस्त 2019 को एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 2019 को निकाला। जिसने संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1954 का स्थान ले लिया। इस आदेश के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 35ए को भी निरस्त कर दिया गया।

6. अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की संवैधानिकता

अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद सरकार के फैंसले पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की गयी, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना असंवैधानिक है और जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की पीठ को याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि राज्य की संवैधानिक स्थिति को बदलने के प्रस्ताव राज्य के नागरिकों द्वारा ही उठाया जाना चाहिए था। परन्तु केन्द्र सरकार के निर्णय संविधान का उल्लंघन है उन्होंने आरोप लगाया था कि ये आदेश जम्मू कश्मीर के लोगों की सहमति के बिना पारित किए गए।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा था कि इस मामले में राज्य की कोई सहमति नहीं थी और इस मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल ने विधान परिषद के सदस्यों से कोई परामर्श नहीं किया।

हालांकि केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया था कि जम्मू-कश्मीर राज्य को दिए गए विशेष दर्जे ने उग्रवादियों और अलगाववादों तत्वों को स्थिति का फायदा उठाने के लिए मजबूर किया है और अनुच्छेद 370 को संवैधानिक रूप से एक अस्थायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 370 (1) (घ) के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अपवाद और संशोधन किए जा सकते हैं, केन्द्र के हलफनामे में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान जम्मू-कश्मीर के देश के साथ एकीकरण को सक्षम करने की बजाए बाधा डाल रहे हैं और यह राष्ट्र और राज्य के हित प्रभावित कर रहा है, साथ ही यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों के समर्थन, उग्रवादी स्थिति का बड़ा फायदा उठा रहे हैं और राज्यों के लोगों के बीच कलह और असंतोष को बढ़ावा दे रहे हैं।

केन्द्र सरकार का मत था कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व अस्थायी प्रावधान के रूप में है और यह निर्णय राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के हित को ध्यान मंे रखते हुए लिया गया है यह निर्णय शांति और सौहार्द को पैदा करते हुए विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सहायक होगा।

अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्तीकरण के प्रभावः- हर निर्णय के पक्ष और विपक्ष होते हैं ऐसी ही स्थिति जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में केन्द्र द्वारा लिए गए निर्णय के भी कुछ पक्ष व विपक्ष हैः-

- अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से संघ द्वारा कई विषयो में शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है।
- जम्मू और कश्मीर को शामिल करने के साथ राष्ट्र के राष्ट्रीय दृष्टिकोण ओर संचयी विकास को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार का निर्णय लाभदायक होगा।

- महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा मिला, क्योंकि अनुच्छेद 370 के कारण महिला नागरिकों को जम्मू-कश्मीर राज्य के गैर-निवासियों से विवाह करने वाली कई महिलाओं ने संपति में अपना अधिकार खो दिया था और विवाह से पैदा हुए उनके बच्चे नागरिकता की अनिश्चित स्थिति में थे।
- अनुच्छेद 370 और 35ए के हटने से व्यापार करने में आसानी हुई है और पर्यटन एवं आतिथ्य को भी बढ़ावा मिला है।
- राज्य सरकार की सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं।
- भारत संघ से वित्त पोषण प्राप्त कर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नई व्यवस्था की जा सकती है। राज्य का राजस्व बढ़ता है तथा रोजगार के अवसरों की वृद्धि की संभावना होती है।

जिस तरह से इस अनुच्छेद को निरस्त करने के पक्षधर है उसी तरह से इसके विपक्ष भी है। जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच संबंधों के क्रमिक विकास के दशकों के दौरान देखा गया है कि राज्य को कुछ शर्तों के साथ भारत संघ में शामिल होने का संकल्प लेना था, जैसा कि उनका अपना संविधान होना चाहिए जिसमें विभिन्न पहलुओं में संघ द्वारा सीमित हस्तक्षेप हो और राज्य के पास निवासियों के विशेषाधिकार निर्धारित करने और यह निर्धारित करने का अधिकार हो कि स्थायी निवासी कौन है। साथ ही राज्य ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता और विरासत तथा जनसांख्यिकीय पहचान की थी। जिसमें भारत का हिस्सा होने के नाते केन्द्र सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप हो। इनमें अधिकांश मांगे उनकी पहचान की रक्षा और राज्य के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने की थी। अब ये सभी विशेषाधिकार अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्त होने के साथ ही समाप्त हो गए।

7. निष्कर्ष

जम्मू कश्मीर राज्य और भारत संघ के बीच संवैधानिक संबंधों का इतिहास काफी गहरा रहा है। अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने का परिणाम कई राजनीतिक निर्णयों, शैक्षणिक विचारों का परिणाम है। जिसका प्रभाव राज्य और केन्द्र सरकार पर संभावित तरीके से सकारात्मक पड़ने वाला है। भारत की संसद ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से राज्य की राजनीति को काफी हद तक सकारात्मक प्रभावित किया है। अनुच्छेद 370 और 35ए निरस्त करना आज भी संवैधानिक है। यह भारत के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम हो सकता है, जिसमें भारत के संविधान को प्रयोज्यता द्वारा राज्य में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि यह भारतीय संघ के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, संवैधानिकता की प्रक्रिया को पूर्ण करता है तथा नागरिक समान के विकास को गति प्रदान करने वाला कहा जा सकता है।

संदर्भ सूची

पाण्डेय, अशोक कुमार, ''कश्मीरनामा: इतिहास और समकाल'', राजपाल एंड सन्स प्रकाशन, 2021, पृष्ठ संख्या-303.
सिंह, आकाशदीप, ''आर्टिकल 370-ए परमानैंटली टम्परैरी प्रोविजन'', आई. जे. आर. ए. आर., मुद्रित वाॅल्यूम-6, 2019, पृष्ठ संख्या-1.
होसकोट, अमिताभ और विशाखा, ''जम्मू एंड कश्मीर एंड द पाॅलिटिक्स आॅफ आर्टिकल 370-सिकिंग लिगलिटी फाॅर द इलजिमेंट'', आई. जे. एस. एस.0 वाॅल्यूम-3, इशु-3, अंक 1, पृष्ठ संख्या 813-835.
काॅन्शट्टियूशन एसैम्बली आॅफ इंडिया डिबेट्स (प्रोसिडिंस), वाॅल्यूम 10, सोमवार, 17 अक्टूबर, 1949.
अग्निहोत्री, कुलदीप चन्द, ''जम्मू-कश्मीर की अनकही कहानी'', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 2019, पृष्ठ संख्या 20.
माथुर राजेश, ''अनुच्छेद 370 और कश्मीर'', सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992, पृष्ठ संख्या 17-20.
एल. के. भाटिया, ''काॅन्शट्टियूशन एंड लीगल स्टेटस आॅफ जम्मू एंड कश्मीर'', 2015, पृष्ठ संख्या 30.

www.en.m.wikipedia.org/wiki/article35A of the constitution of India.

Sampat Parkash V/s State of Jammu and Kashmir and Anr 1970 AIR SC 1118.